

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय : एक परिचय

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न सरगुजाचल में हरीतिमा से ओतप्रोत परिदृश्य में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1960 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। सन् 1973 में शासन द्वारा इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय सागर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध रहा। सन् 1983 तक यह रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध रहा तथा 2008 तक गुरु घासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर से सम्बद्ध है।

महाविद्यालय में चार संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा विधि में अध्यापन की व्यवस्था है।

शासन के मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन, नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय परिवार के बहुमूल्य सहयोग से महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जनभागीदारी समिति का गठन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। महाविद्यालय का मुख्य भवन अम्बिकापुर- मनेन्द्रगढ़ रोड पर और इसका एक खण्ड विद्यावृत अम्बिकापुर- बनारस रोड पर स्थित है। 2009-10 का वर्ष महाविद्यालय का गौरवपूर्ण स्वर्ण जयंती वर्ष था। महाविद्यालय के पास स्वयं के दो भवन तथा 42 एकड़ भूमि में फैला एक विशाल खेल मैदान, जिम्नेजियम तथा हॉकी स्टेडियम है। वर्तमान में जनभागीदारी समिति द्वारा निर्मित अध्यापन कक्षों (भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण किया गया है। 100 छात्रों हेतु छात्रावास है। 150 शय्या का महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सामान्य वितरण-

01. महाविद्यालय में चार संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - ये संकाय हैं कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कम्प्यूटर विज्ञान। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं संस्कृत विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक शास्त्र इलेक्ट्रॉनिक, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणि शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र। विगत वर्षों में योग्य, कुशल एवं अनुभवी प्राध्यापकों के शिक्षण और मार्गदर्शन से छात्रों ने निरंतर उत्तम परीक्षाफल तथा शोध उपाधियां हासिल कर महाविद्यालय तथा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
02. सन् 1994-95 से स्नातकोत्तर कक्षाएँ त्रिवर्षीय प्रणाली के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इनके कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रत्येक विषय समूह के अंतर्गत ही वांछित विषय को लेने के लिए सक्षम होगा।
03. महाविद्यालय में 2006-07 से सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विषय में चार सेमेस्टर होंगे। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह नवम्बर/दिसम्बर तथा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा माह अप्रैल/मई में आयोजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अधिकतम 80 अंकों में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने के अनिवार्य तौर पर प्रत्येक प्रश्नपत्र में आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को आगे के मूल्यांकन में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करना होगा।
04. इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी केवल उन्हीं शैक्षणिक प्रश्न-पत्रसमूहों की अनुमति दी जावेगी, जिनके अध्यापन के लिए महाविद्यालय में सभी दृष्टियों से पर्याप्त सुविधा होगी।
05. महाविद्यालय में क्रीडा हेतु सुविधा एवं मैदान उपलब्ध है। क्रीडा के लिए प्रभारी प्राध्यापक हैं जिनके मार्गदर्शन में तथा क्रीडा अधिकारी के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया-कलापों का कार्यान्वयन तथा नियंत्रण किया जावेगा।
06. महाविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु एक पब्लिकरिलेशन बोर्ड है जो प्रवेश एवं अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
07. एन.सी.सी. की एक कम्पनी है जिसमें कम से कम 10% विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने पर ही एन.सी.सी. की नतिविधियों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण एन.सी.सी. अधिकारी द्वारा किया जावेगा। एन.सी.सी. अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रत्येक विद्यार्थी सामाजिक सेवा एवं दैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में नियमित रूप में उपस्थित रहेगा। इसके लिए समायोजन तरीके से निर्देशों का पालन करेगा।
08. राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयाँ हैं। प्रत्येक में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना, शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेंगे। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से भी योजनाओं को निष्ठा से पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेंगे।
09. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि अनुशासन संबंधी नियम उपस्थिति महाविद्यालयीन एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप सभी की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन-

बी.ए. प्रारम्भिक एवं बी.एस-सी. प्रारम्भिक कक्षाओं में विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप/समूह के अंतर्गत ही प्रवेश मान्य होगा -

- अनिवार्य** (1) आधार पाठ्यक्रम: हिन्दी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा (2) पर्यावरण अध्ययन बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.प्रथम वर्ष
2. बी.ए. प्रारम्भिक - निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें किन्तु साहित्य के तीनों विषयों का एक साथ चयन मान्य नहीं है।
(1) समाज शास्त्र (2) अर्थशास्त्र (3) राजनीतिशास्त्र (4) इतिहास (5) भूगोल (6) हिन्दी साहित्य (7) अंग्रेजी साहित्य (8) संस्कृत (9) मनोविज्ञान
 3. बी.एस-सी. प्रारम्भिक (गणित समूह)
(1) भौतिक शास्त्र, गणित, इलेक्ट्रॉनिक (2) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित (3) भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित
 4. बी.एस-सी. प्रारम्भिक (बायो समूह) (1) रसायन, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र (2) रसायन, वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र

5. कला/विज्ञान /वाणिज्य द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
6. महाविद्यालय में निम्न विषयों में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है।
- | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| (अ) हिन्दी | (ब) अर्थशास्त्र | (स) अंग्रेजी | (द) इतिहास | (इ) भूगोल |
| (क) वाणिज्य | (ख) गणित | (ग) रसायन शास्त्र | (घ) वनस्पति शास्त्र | (ड) राजनीति शास्त्र |
| (च) भौतिक | | | | |

छत्तीसगढ़ के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की

स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

नोट:- छ.ग.वि.वि.अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत सत्र 2017-18 के लिए प्रवेश के नियम एवं सिद्धान्तों का वितरण शासन से प्राप्त होने पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्या किया जावेगा, तब तक के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय से उपलब्ध प्रवेश नियम लागू रहेंगे।

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करने हेतु लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इसका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी अर्जित आवेदन पत्रों के समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं के प्रवेश के लिए अर्जित आवेदन पत्रों के आने की तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित आवेदन पत्रों के आने की तिथि में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं में 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहला हो मान्य होगा। कंडिका 5.1 (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुनः / पुनर्मूल्यांकन को स्थानांतरण होने पर ही पुनः प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ही महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है किन्तु रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की

उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें।

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय /विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लिकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजी जायेगी। उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख है प्राप्त होना की स्थिति में प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही मूल प्रमाण पत्र से संबंधित गैर-नियमित रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि के संलिप्त है या नहीं। प्रमाण पत्र को संलग्न लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र / छात्रा के प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 2653/2014/38 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है का पालन किया जाये।
- 4.7 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को शैक्षिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है को पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता :-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्ति धारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी, राष्ट्रीय बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापित तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर में नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस-सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों के क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर में नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस-सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस-सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए टी के टी नियम -
 1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों का अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय ,सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यह प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनु.जनजाति/अनु.जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) AICTE/ NCTE/ BCI/ MCL से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/ इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचर्य पाठ्य पुस्तकों की सची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विधि शिक्षण आयोग (एन.ए.एस.यू.ए.) के सदस्य हैं।उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। (छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय) जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या प्रमाणित विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या परीक्षा के आयोजन, उनकी परीक्षा उपरान्त मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एन वी ई क्यू एफ (National Vocational Educational Qualification Frame work) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशासकी संख्या क्रमांक 1-52/2013 (सी.बी.एस.ई.एन.ए.एस.यू.एफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल भर्त्ता संरचना (एन.ए.एस.क्यू.एफ.) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आयोग (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) में सूत्रबद्ध किये गए समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एन.वी.ई.क्यू.एफ. में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है जिसमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गए एन वी ई क्यू एफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गए और एन वी ई क्यू एफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एन एस क्यू एफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ताकि उन छात्रों को क्षैतिवीय गत्यामकता के लिए सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम /बी.एस-सी. /बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण - पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण

आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झूठी गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 **स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।**
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्ग्रेगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में दाखिल होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सूत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण पत्र देना तथा शपथ पत्र लिखने से प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चलाने प्रस्तुत किया गया है, या आपाधिक प्रकल्प चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / परपीट या अन्य प्रकार के अपराधों / चेतन या अचेतन रूप से भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने वाले महाविद्यालय के कर्मचारियों के कर्मचारी / शिष्य के द्वारा भी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कर्तव्य गाहित करूँ जावे कार्यवाही करने के लिये। कक्षाओं में प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय चयन प्रणाली में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 **प्रवेश हेतु आयु सीमा-**
- (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। भारत नागरिकता के बंधन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मुख्यमंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों / भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता रखने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय के निवर्षीय पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली) में प्रवेश के लिए अर्हता आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनु. जाति/अ.ज. जा. अन्य पि.वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। (विधि संकाय को छोड़कर)
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण ,परन्तु 48 प्रतिशत एग्जिगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे ,अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/ तहसील/ जिले की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/ तहसील/ जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने का स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा अंकों के आधार पर इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -
 - (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुसूचित जातों के प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुसूचित जातों के अतिरिक्त प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुसूचित जातों के अतिरिक्त प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।परन्तु जहां अनुसूचित जातों के लिए अंकों के आधार पर सीटें अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कानिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जिसका राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्रों तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अथवा अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीटें वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाये गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि -
"We direct the Centre and the state government to take steps to treat them as socially and educationally backward

classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स -

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढा जावे -

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैंडिडेट्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडिडेट	10 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के अर्थ में	15 प्रतिशत

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी की स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /विषय/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,सम्भाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.जाई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख) प्रथम,द्वितीय,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार अकादमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15.शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच-डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन-पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध-प्रबन्ध को उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष:-

- 16.1 यदि किसी आवेदक को जाली प्रमाण-पत्रों गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश प्रवेश मिल गया है तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित तत्वों के सम्बन्ध में गलत जानकारी देने में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

सन् 2017-18 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियां निम्नानुसार गठित की गई हैं।

1. अनुशासन समिति -		6. श्री पी.के. एक्का	सदस्य
1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक	11. एन्टी रैगिंग समिति -	
2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य	1. डॉ.आर.के. जायसवाल	संयोजक
3. डॉ. आभा जायसवाल	सदस्य	2. डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव	सदस्य
4. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य	3. डॉ. एच.डी.महार	सदस्य
5. श्री पंकज अहिरवार	सदस्य	4. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
6. श्री जे.आर. पैकरा	सदस्य	5. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य
7. श्री संजीव लकड़ा	सदस्य	6. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य
2. युवा उत्सव समिति -		7. डॉ. मिलिन्द्र सिंह	सदस्य
1. श्रीमती सरोज तिकी	संयोजक	8. श्री पंकज कुमार अहिरवार	सदस्य
2. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य	12. पर्यावरण सुरक्षा समिति -	
3. डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह	सदस्य	1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
4. डॉ. तुप्ती विश्वास	सदस्य	2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
3. ग्रन्थालय/वाचनालय समिति -		3. डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	सदस्य
1. डॉ. रशीदा परवेज	संयोजक	4. श्री संजीव लकड़ा	सदस्य
2. डॉ. आर.पी. सिंह	सदस्य	5. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य
3. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री	सदस्य	6. डॉ. वृत्ति विश्वास	सदस्य
4. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य	7. डॉ. अजय पाल सिंह	सदस्य
5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	सदस्य	13. सूचना अधिकारी समिति -	
6. श्री चमन कुमार	सदस्य	1. प्राचार्य	जनसूचना अधिकारी
4. शिक्षक/अभिभावक समिति -		2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सहा. जन.सूचना अधिकारी
1. डॉ. जे.एन. पाण्डेय	संयोजक	14. छात्रवास समिति -	
2. समस्त, विभागाध्यक्ष	सदस्य	1. प्राचार्य	संरक्षक
5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ -		2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
1. श्री आर.के. जायसवाल	संयोजक	3. डॉ. ए.के. एक्का	सदस्य
2. डॉ. एस.एल. श्रीवास्तव	सदस्य	4. डॉ. ए.सी. खारवा	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. सिंह	सदस्य	5. श्री संजीव कुमार बघेल	अधीक्षक
4. डॉ. प्रतिभा सिंह	सदस्य	6. श्रीमती सरोज तिकी	
5. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य	7. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	संयोजक
6. महिला उत्पीड़न/शिकायत निवारण/लिंग भेदना निरोध समिति -		8. डॉ. ए.के. डी. महार	सदस्य
1. डॉ. रशीदा परवेज	संयोजक	16. मनोवैज्ञानिक को-ऑर्डिनेटिंग -	
2. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य	1. सुश्री तुप्ती विश्वासी	संयोजक
3. डॉ. ममता गर्ग	सदस्य	2. श्रीमती सरोज तिकी	सदस्य
4. श्रीमती जेरमीना तिकी	सदस्य	3. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य
7. छात्रसंघ समिति -		17. महाविद्यालय ग्रीनवा समिति -	
1. डॉ. राज कमल मिश्रा	संयोजक	1. डॉ. विजय कुमार शर्मा	संयोजक
2. श्रीमती सरोज तिकी	सदस्य	2. समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य
3. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	सदस्य	18. परीक्षा समिति-	
4. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य	1. प्राचार्य/मुख्य नियंत्रक	अध्यक्ष
5. डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	सदस्य	2. डॉ. रिजवान उल्ला	नियंत्रक
8. युवा साहित्यिक/सांस्कृतिक समिति -		3. डॉ. शोभित बाजपेयी	सदस्य
1. डॉ. आभा जायसवाल	संयोजक	4. श्रीमती सरोज तिकी	सदस्य
2. डॉ. प्रतिभा सिंह	सदस्य	5. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य
3. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य	19. क्रय समिति -	
4. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य	1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
5. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य	2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य
9. कैरियर गाइडेंस समिति -		3. श्रीमती सरोज तिकी	सदस्य
1. डॉ. एस.एन. पाण्डेय	संयोजक	4. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
2. श्री सुनील केरकेट्टा	सदस्य	5. श्री व्ही. खारवा	सदस्य
3. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य	20. उद्यान समिति -	
4. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य	1. श्री सुनील केरकेट्टा	संयोजक
5. सुनील अग्रवाल	सदस्य	2. श्री प्रदीप एक्का	सदस्य
10. अ.जा/अ.ज.जा./पि.वर्ग छात्रवृत्ति समिति -		3. डॉ. अजय पाल सिंह	सदस्य
1. डॉ. विजय कुमार शर्मा	संयोजक	4. श्री संजीव कुमार लकड़ा	सदस्य
2. डॉ. रिजवान उल्ला	सदस्य	5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	सदस्य
3. श्रीमती सरोज तिकी	सदस्य		
4. डॉ. एच.डी. महार	सदस्य		
5. डॉ. महेन्द्र मौर	सदस्य		

प्रवेश समितियाँ
2017-2018

डॉ. एस.के.त्रिपाठी
प्राचार्य एवं संरक्षक

क्र.	कक्षा	संयोजक	सदस्य	कक्षा/विभाग
1.	एम.ए. हिन्दी	डॉ.(श्रीमती) रशीदा परवेज	-	हिन्दी विभाग
2.	एम.ए.अंग्रेजी	डॉ.राजकमल मिश्रा	-	अंग्रेजी विभाग
3.	एम.ए. इतिहास	डॉ.(श्रीमती) ममता गर्ग	-	इतिहास विभाग
4.	एम.ए. अर्थशास्त्र	डॉ. जे.एन.पाण्डेय	-	अर्थशास्त्र विभाग
5.	एम.ए. राजनीति विज्ञान	डॉ. एस.एल.श्रीवास्तव	-	राजनीति विभाग
6.	एम.ए. भूगोल	डॉ. आर.के.जायसवाल	-	भूगोल विभाग
7.	एम.ए. समाजशास्त्र	डॉ. प्रतिभा सिंह	-	समाज शास्त्र विभाग
8.	एम.काम	डॉ. शोभित बज्जेश	-	वाणिज्य विभाग
9.	एम.एस.सी.भौतिक	डॉ. महेन्द्र मौर्य	-	भौतिक शास्त्र विभाग
10.	एम.एस.सी.रसायन	श्रीमती सरोज तिकी	-	रसायन शास्त्र विभाग
11.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	डॉ. रिजवान उल्ला	-	वनस्पति शास्त्र विभाग
12.	एम. एस.सी. प्राणी शास्त्र	श्रीमती जेरमिना तिकी	-	प्राणी शास्त्र विभाग
13.	एम.एस.सी. गणित	श्रीमती संगीता पाण्डेय	-	गणित विभाग
14.	एम.ए./एम.एस.सी. मानवशास्त्र	श्रीमती जे.मिना तिकी	-	मानवशास्त्र विभाग
15.	एम.एस. डब्ल्यू	श्री एस.के. के.के.के.	-	भूगर्भशास्त्र
16.	एल.एल.एम.	डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	-	
17.	बी.ए. प्रारम्भिक	डॉ. आर्भा जायसवाल	1. डॉ. विश्वास एका 2. डॉ. प्रदीप प्रकाश 3. श्री अजय काल सिंह	हिन्दी विभाग
18.	बी.ए.पूर्व	श्रीमती जे.मिना तिकी		राजनीति विज्ञान
19.	बी.ए. अंतिम	डॉ. ममता गर्ग		इतिहास विभाग
20.	बी.काम प्रारम्भिक	डॉ. सुनील अग्रवाल		वाणिज्य विभाग
21.	बी.काम पूर्व	डॉ. सुनील अग्रवाल	डॉ. महेन्द्र मौर्य	वाणिज्य विभाग
22.	बी.कॉम अंतिम	डॉ. सुनील अग्रवाल	डॉ.आर.के.एस. बघेल	
23.	बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित)	डॉ.एस.के. सिन्हा	-	रसायन विभाग
24.	बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो)	श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकी श्रीमती जेरमिना तिकी		रसायन विभाग
25.	बी.एस.सी.पूर्व (गणित)	डॉ. महेन्द्र मौर्य	-	भौतिकी विभाग
26.	बी.एस.सी. पूर्व (बायो.)	डॉ.एच.डी. महार	-	वनस्पति विभाग
27.	बी.एस.सी. अंतिम (गणित)	डॉ.आर.के.एस. बघेल	-	प्राणीशास्त्र विभाग
28.	बी.एस.सी.अंतिम (बायो.)	डॉ. रिजवान उल्ला	-	वनस्पति शास्त्र विभाग
29.	एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर	डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	डॉ.मिलेन्द्र सिंह	विधि विभाग
30.	एल.एल.बी. तृतीय,चतुर्थ	डॉ. मिलेन्द्र सिंह	-	विधि विभाग
31.	एल.एल.बी.पंचम,षष्ठम	श्री पंकज अहिरवार	-	विधि विभाग
32.	डी.सी.ए./बी.सी.ए./ पी.जी.डी.सी.ए.	डॉ. एस.एन.पाण्डेय	(10)	अंग्रेजी विभाग

सा विद्या या विमुक्तये

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

1. स्वशासी परिक्षाएँ - डॉ. रिजवान उल्ला (परीक्षा नियंत्रक)
2. छात्र संघ प्रभारी - राज कमल मिश्रा
3. युवा उत्सव - श्रीमती सरोज तिकी
4. क्रीडा विभाग - श्री प्रदीप एक्का (प्रभारी)
5. एन.सी.सी. - श्री पंकज अहिरवार
6. राष्ट्रीय सेवा योजना - श्री संजीव लकडा (कार्यक्रम अधिकारी इकाई -1)
- डॉ. तृप्ती विश्वास (कार्यक्रम अधिकारी -2)
7. ग्रंथालय प्राध्यापक प्रभारी - डॉ० रशीदा परवेज
8. रेडक्रास - श्री जीतन राम पैकरा
9. महाविद्यालय रजिस्ट्रार - श्री नही. खाखा
10. ग्रंथपाल - श्री यमन कुमार
11. छात्रावास अधीक्षक - श्री मनोज कश्यप

क्रमांक	कक्षा	गणित	गणित
1.	बी.ए. प्रथम	01	मौखिक विभाग
2.	बी.ए. द्वितीय	02	
3.	बी.ए. अंतिम	03	
4.	वाणिज्य स्नातक	03	
5.	विज्ञान स्नातक	01	रसायन, शास्त्र
6.	विधि संकेत	01	
7.	स्नातकोत्तर (निश्चित)	05	

सा विद्या या विमुक्तये

महाविद्यालयी विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अधिकतम सीट संख्या सत्र 2016-17

क्र.	कक्षा	सीट	क्र.	कक्षा	सीट
1.	एम. ए. हिन्दी (प्रथम सेमेस्टर)	40	14.	एम.एस.डब्ल्यू (प्रथम सेमेस्टर)	60
2.	एम.ए. अंग्रेजी (प्रथम सेमेस्टर)	60	15.	एम.एस-सी/एम.ए.मानव शास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	30
3.	एम.ए. इतिहास (प्रथम सेमेस्टर)	30	16.	बी.कॉम. प्रारंभिक	350
4.	एम.ए.अर्थशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	40	17.	बी.ए. प्रारंभिक	800
5.	एम.ए. राजनीति (प्रथम सेमेस्टर)	30	18.	एल.-एल.एम. (प्रथम सेमेस्टर)	30
6.	एम.ए. भूगोल (प्रथम सेमेस्टर)	30	19.	बी.एस-सी. प्रारंभिक	
7.	एम.ए. समाजशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	30		बायोलॉजी	200
8.	एम.कॉम. (प्रथम सेमेस्टर)	40		गणित	150
9.	एम.एस.सी. रसायन (प्रथम सेमेस्टर)	30	20.	विधि प्रथम	320
10.	एम.एस.सी. भौतिक (प्रथम सेमेस्टर)	20	21.	पी.जी.डी.सी.ए.	30
11.	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र (प्रथम सेमे.)	30	22.	बी.सी.ए.	60
12.	एम.एस.सी. वनस्पति (प्रथम सेमेस्टर)	30	23.	डी.सी.ए.	100
13.	एम.एस-सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर)	30	24.	बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	80

**राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,अम्बिकापुर (सरगुजा)
प्रवेश आवेदन पत्र 2017-2018**

आवेदन पत्र क्रमांक

वर्ग- सामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

प्रवेश हेतु आवेदित कक्षा.....

रक्त समूह

ऐच्छिक विषय- 1.....2.....3.....

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में).....

2. पिता/अभिभावक का नाम

माता का नाम

जाति.....धर्म.....व्यवसाय.....

वार्षिक आय

3. आवेदक की जन्म तिथि (अंको में).....

(शब्दों में).....

4. आवेदक का स्थायी पता.....

5. आवेदक का स्थानीय पता.....

6. अर्हताकारी परीक्षा का नाम

प्राप्तांक /पूर्णांक

7. अभिरूचियाँ- 1.....

8. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि

9. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हों तो, पूर्ण विवरण दें-

10. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धि का विवरण -

11. वैवाहिक स्थिति.....

12. आधार नं.

दिनांक-.....

नोट- समस्त कक्षाओं में समस्त दस्तावेजिक प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानान्तरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)

1..... 2..... 3.....

2. चरित्र प्रमाण -पत्र (मूल प्रति).....

3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....

4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....

5. छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)

6. अन्य प्रमाण -पत्र

7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)

8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जाँचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है। दिनांक तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

शासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

अशासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

दिनांक

शुल्क लिपिक

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता /करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासनहीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक..... पुराना नम्बर.....
मोबाईल/फोन नं.....

.....

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या (नाम)..... द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दिन-रात, रविवार और छुट्टियों के अन्तर्गत मेरे विद्यार्थी के रूप में उत्तरदायी रहने तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता/देगी।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पुरा नाम.....

मोबाईल/फोन नं.....

विश्वविद्यालय के अनुदेश -

छात्रों को सतत् ध्यान रखना होगा कि अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे अन्यथा उनका नाम तत्काल

महाविद्यालय प्रवेश सूची से निकाल दिया जावेगा।

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2017-2018

सदस्य संस्था रीडर्स कार्ड
संख्या

छात्र / छात्रा का नाम.....	कक्षा.....	पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।
पिता श्री.....		
विषय/संकाय.....	सेवारत.....	
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	स्नातकोत्तर.....	
दिनांक.....		
वर्तमान पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....	थाना.....	
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	
स्थायी पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....	थाना.....	
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	
मै.....	कक्षा.....	
वर्ग.....	विषय में प्रवेश प्राप्त	

लिया हूँ। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ।



सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 रुपये प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगा। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूँगा/करूँगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूँगा। विद्रूप होने पर अथवा पुस्तकें / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मूल्य / पुस्तक गुमने के 7 दिवस के भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करूँगा /करूँगी।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर जांच कर घर ले जाऊँगा/जाऊँगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व की पुस्तकें नहीं हैं।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे


मैं.....आत्मज /आत्मजा श्री.....

अनुबंध करता /करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य.....कक्षा.....

ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करता रहेगा/रहेगी तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा/रहेगी। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा /होगी।

स्थान:-

दिनांक.....



पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

मुकाबल नम्बर

वर्ग

ग्राम/शहर

संपर्क अधिकारी

पुनः आई. नं.

फोन नं.

मोबाइल नंबर

सदस्यता स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है।

सा विद्या या विमुक्तये

प्राचार्य/रजिस्ट्रार

ग्रंथालय

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I(full name of student with admission/ registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms., having been admitted to (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I here by solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the county on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear.

Signature of deponent

Name.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..... (Place) on this the(day) of (month).....(year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month)(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIOR

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. (full name of parent/ guardian) father/mother/ guardian of..... student with admission/ registration/ enrolment number). having been admitted to (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertaken that
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that my be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that my be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that if found guilty of ragging , my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, with out prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the tiem being in force.
- 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear.

Signature of deponent

Name.....

Address.....

Telephone/ M.No.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..... (place) on this the(day) of (month)..... (year)

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the(day) of(month)..... (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIOR